रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 1983/कार्तिक 20, 1905
No. 502] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 1983/KARTIKA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1983

का. आ. 804(अ).—भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची के भाग 1 में क्रम सं. 21 के सामने कालम 4 में प्रविष्टि "1978 तक" हटा दी जाए ।

[फा. सं. 26015/7/83-ए. ई.]

पा. कृ. उमाशंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Health Deptt.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1983

S.O. 804(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In Part I of the said Schedule, against serial No. 21, in column 4, the entry "upto 1978" shall be omitted.

[No. V. 26015/7/83-A.E.]

P. K. UMASHANKAR, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983